झारखंड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

पत्रांक – 06/आ0प्र0 (COVID-19) – 02/2020 – 309 रांची, दिनांक - 9.4.2020

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सभी उपायुक्त
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक,
झारखंड।

विषय – कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु क्षेत्र भ्रमण करने के संबंध में।

प्रसंग – **MHA Order NO. 40-30/2020-DM-I(A), Dated 24th March, 2020.**

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि कोविड–19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत lockdown से संबंधित आदेश निर्गत किया गया है। इसके फलस्वरूप आमजन को होने वाली कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई तरह की प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। Lockdown का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इस अवधि में की गई विशेष प्रशासनिक व्यवस्था ठीक ढंग से काम कर रही है, यह देखने के लिए आपके द्वारा नियमित क्षेत्र भ्रमण किया जाना अति आवश्यक है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में Government Quarantine Center में व्यवस्था, मुख्यमंत्री दाल–भात केन्द्र का संचालन, थानों में विशेष दाल–भात केन्द्र का संचालन, मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन, लॉकडाउन का कार्यान्वयन, बाजारों में आवश्यक सामग्री की उपलब्धता तथा social distancing के निदेश के अनुपालन सहित कोविड–19 से निपटने हेतु अन्य प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा की जाए।

उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र भ्रमण के संदर्भ में स्वयं भी social distancing तथा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में निर्गत अन्य निदेश (Mask/Sanitization इत्यादि) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

9/4/2020

(सुखदेव सिंह)